या नहीं। ऐसे मोटे तौर पर इन सभी लोगों का हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर इस बारे में हम पॉलिसी बना सकते हैं कि कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है, अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी, तो जरूर करेंगे।

श्री बिश्वजीत दैमारी : सर, ...(**व्यवधान**)... वे लोग सामना नहीं कर पाए। ...(**व्यवधान**)... वे लोग आर्म्स सरेंडर नहीं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : Mr. Daimary, please sit down. ...*(Interruptions)*... You discuss that with the hon. Minister.

माओवादी हमलों में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को प्रदत्त मुआवज़ा-राशि

*505. **श्री विजय गोयल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, माओवादी हमलों में कितने सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है;

(ख) क्या इन सभी सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के पर्याप्त मुआवजा-राशि मिल चुकी है;

(ग) ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों को मुआवजा-राशि का भुगतान किये जाने संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस मुआवजा-राशि वृद्धि किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 31.07.2014 तक) के दौरान माओवादी हमलों में मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी
2009	317
2010	285
2011	142
2012	114
2013	115
2014 (31.07.2014 तक)	61

(ख) और (ग) कार्रवाई में मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के कर्मियों के निकटतम संबंधी को 15 लाख रुपये की अनुग्रह मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, नक्सली हमलों में मारे गए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह-राशि के भुगतान और मारे गए पुलिस कर्मियों के निंकटतम सबंधी को सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों की अपनी स्वयं की नीतियां हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी व्यय

(एस.आर.ई.) योजना के तहत, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वामपंथी उग्रवादी हिंसा के कारण मारे गए प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

Compensation to families of securities personnel killed in maoist attacks

†*505. SHRI VIJAY GOEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of security personnel killed in Maoist attacks during the last five years;

(b) whether the families of all these security personnel have received adequate compensation;

(c) the details of the provisions with regard to the payment of compensation to the security personnel who were killed in such incidents; and

(d) whether any proposal to increase this compensation is under the consideration of Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The numbers of security forces personnel killed in Maoist attacks during the last five years and in the current year (upto 31.07.2014) are given below:

Year	Security Forces killed
2009	317
2010	285
2011	142
2012	114
2013	115
2014 (upto 31.07.2014)	61

(b) and (c) *Ex-gratia* compensation of ₹15 lakh is paid to the next of kin of personnel of Central Armed Police Forces (CAPFs) killed in action. Besides this, the State Governments have their own policies for payment of *ex-gratia* to the families of security personnel killed in naxal attacks and compassionate appointment of next of kin of the deceased policemen in Government jobs. In addition, under the Security

†Original notice of the question was received in Hindi.

Related Expenditure (SRE) Scheme, *ex-gratia* payment of ₹ 3 lakh to the family of each security personnel killed due to LWE violence is reimbursed to the States by the Central Government.

(d) No Sir.

श्री विजय गोयल : सभापति जी, हमारे देश के अन्दर पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ का बहुत महत्व है। मैं समझता हूं कि जैसे हमारी आर्मी काम कर रही है, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर भी हैं, खासतौर से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडो-तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। किन्तु इनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें उनको आर्मी के मुकाबले न तो अलाउंसेंज़ मिल रहे हैं, न सैलेरी मिल रही है, न कम्पेंसेशन मिल रहा है और न कोई अन्य चीजें मिल रही हैं।

सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि यह जो 15 लाख कम्पेंसेशन वे दे रहे हैं, तो यह कब से दे रहे हैं, कितने साल पहले से दे रहे हैं। मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया है कि हमारे जो जवान मारे जाते हैं, तो कम्पेंशनेट ग्राउंड पर उन सबके किसी न किसी निकट संबंधी को नौकरी देना आवश्यक है या नहीं है अथवा यह नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिलती है, जो नक्सली हमलों में मारे जाते हैं?

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री विजय गोयल : सर, मैं इनसे उस सवाल का जवाब चाहता हूं कि जो मेरा सवाल था कि "Whether any proposal to increase this compensation is under the consideration of Gorvernment; और जो जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं, वे जवाब मुझे दे दें।

श्री किरन रिजिजु : सर, मेरे बगल वाले माननीय सदस्य ने कम्पेंसेशन के बारे में पूछा है। 15 लाख देना तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई भी जवान किसी नक्सली हमले में मारा जाता है, तो उसके अलावा उसको तीन लाख रुपये दिये जाते है और एक लाख रुपये एडिशनल उसे दिए जाते हैं, चाहे वह नक्सली हमला हो या कम्युनल क्लैश हो या वह किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से मारा जाता है, तो उसके लिए उसे और एक लाख रुपये दिए जाते हैं। उसके अलावा, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिन्हें अगर मैं गिन कर बताउंगा, तो इसमें बहुत समय लगेगा। मैं मोटे-मोटे तौर पर इतना बताना चाहता हूं कि एक सिक्योरिटी पर्सोनेल के मरने पर उसको 50 लाख रुपये बेसिकली मिलते हैं। मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ओर से जो दिया जाता है, उसके अलावा हमारी जो फोर्सेज़ हैं, जैसे सी.आर.पी.एफ. है, बी.एस.एफ. है, आई.टी.बी.पी. है, उन फोर्सेज़ की भी अपनी-अपनी एक स्कीम है। उन फोर्सेज़ का जो अपना फंड होता है, उससे भी काफी चीजें दी जाती हैं। इस तरह कुल मिलाकर उसे 50 लाख से बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप चाहें, तो मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने से बहुत समय लग जाएगा।

MR. CHAIRMAN : Second supplementary, please.

श्री विजय गोयल : सर, दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जो 15

लाख रुपया दिया जाता है, वह कितने सालों से दिया जा रहा है? इसको अभी बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे आर्मी के लिए हमने 'वन रैक, वन पेंशन' की बात की है, क्या हम इन फोर्सेज़ के लिए भी 'वन रैंक, वन पेंशन की बात करेंगे?

श्री किरन रिजिजु : सर, यह 15 लाख काफी सालों से चल रहा है, यह exactly किसी साल शुरू हुआ है, यह मैं पता करके बता दूंगा, लेकिन इसको जहां तक बढ़ाने का सवाल है, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने बताया कि आर्मी को जो सुविधा मिलती है, लेफ्ट विंग एरियाज़ में जो सिक्युरिटी फोर्सेज़ ऑपरेशन करते हैं, उनको किसी चीज में कमी न हो, इसलिए उनको भी बराबरी की सुविधा मिलनी चाहिए और यह compensation में भी लागू होगा। यह हमारी पॉलिसी है।

श्री विजय गोयल : सर, 'वन रैंक, वन पैंशन' के बारे में भी बताया जाए।

श्री किरन रिजिजु : सर, यह पॉलिसी मैटर है, इसलिए इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार माओवाद या नक्सलवाद की क्या परिभाषा है? क्या यह सही है कि माओवाद और नक्सलवाद सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में है, जो वन के क्षेत्र हैं या खनिज के क्षेत्र हैं? अगर मेरी यह बात सही है, तो इसके लिए सरकार की जो परिभाषा है, तो क्या उसको बदल कर इनको देशद्रोही मान कर इनके खिलाफ ऐक्शन लेने की कोशिश करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरन रिजिजु : सर, यह सवाल इस क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यह क्वेश्चन compensation से संबंधित है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, सरकार माओवाद और उग्रवाद किसको मान रही है? ...(**व्यवधान**)... अखिर आप इसको रिफॉर्म मान रहे हैं या एंटी-नेशन मान रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... इससे पहले यह बताना जरूरी है कि माओवाद और उग्रवाद की परिभाषा क्या है?

श्री किरन रिजिजु : सर, डेफीनेशन अलग-अलग रूप में होती हैं, नक्सलबाड़ी से वह मूवमेंट शुरू हुआ, इसलिए उसको नक्सलाइट बोलते हैं या जो ideologically चलते हैं उनको माओवाद का नाम दिया जाता है। यह सवाल इस सवाल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : This is not the core of the question.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, यह ideology का मूवमेंट है या finance से जुड़ा मूवमेंट है? ...(**व्यवधान**)...

श्री किरन रिजिजु : सर, यह चर्चा का विषय है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं।

श्री आनंद भास्कर रापोलू : सभापति महोदय, ये युवा मंत्री ईशान से आए हैं, इसलिए ये अपनी किरणों की ताकत दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। The extremist casualties are the calamities to the grief-stricken families. In that context, whenever there were casualties of Armed Forces, the personnel of Armed Forces, along with any

VIP, then the decision of compensation is getting complicated and the real compensation is not properly reaching the aggrieved families. I would like to know from the Minister whether the Union Government is having a proper mechanism to decide about the compensation to be delivered to the aggrieved families at the earliest with all other benefits available to them.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, as regards compensation, there are very clear laid-down procedures and policies, whether a security personnel is killed or a civilian is killed. So, we ensure that the existing provisions are implemented thoroughly. If the hon. Member comes to know about the next of kin of a deceased family not receiving any kind of compensation under the existing provisions, he may bring it to our notice. We will take care of that.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: Sir, compensation is a factor directly related to casualties. What are the provisions, currently, whereby those who become casualties of insurgency have the right equipment in terms of weapons, vehicles and infrastructure? In each of the districts where this is on, is the Government able to ensure their protection?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, maximum efforts are being made in those areas which are prone to more casualties or where the effect of the Naxalite movement or the Maoist movement is very, very active. Then upgradation of technology through police modernization process is on. We are very, very careful about this thing that our security forces are fully equipped to deal with the situation. The process of upgradation is taking place from time to time and recently the Home Minister had called a meeting of Chief Secretaries and Director-Generals of Police of 10 States, which are affected by the Maoist movement. We are taking care of the concern expressed by the hon. Member.

मध्य प्रदेश में 'स्टील प्रोडक्ट डिपो' की स्थापना का प्रस्ताव

*506. **डा. सत्यनारायण जटिया**: क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के बांदका गांव के पास 'सेल' द्वारा स्थापित किए जा रहे 'स्टील प्रोडक्ट डिपो' के प्रस्ताव सहित विनिर्माण कार्य में विस्तार की अब तक की वर्ष-वार प्रगति तथा आगामी कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रश्न के उपरोक्त भाग 'क' के सन्दर्भ में, मध्य प्रदेश सहित देश भर में कहां-कहां उक्त डिपो स्थापित किए जा रहे हैं/किए जाएंगे और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं तथा उत्पाद की मांग एवं पूर्ति की क्या पद्धति है तथा डिपो-वार कार्यारम्भ के लिए कैलेण्डर का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है?

इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।